



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939

No. 660]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 956(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

क) अनुसूची में I-5%,-

(i) क्रम सं. 59 में, 1 स्तंभ(3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 92 में,-

क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;

ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा" पढ़ा जाये;

(iv) क्रम सं. 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान " पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं. 220 में, स्तंभ (3) में-

क) "साइमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये;

ख) “गोटासितारा” के स्थान पर “गोटा, सितारा” पढ़ा जाये;

ग) “गलजल” के स्थान पर “गजाई” पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं. 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें “(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नहीं”;

(ख) अनुसूची II-12%,-

(i) क्रम सं. 14 में, स्तंभ (3) में “शैल्ड या पील्ड”, के पश्चात, स्थापित करें “और शुष्क तारियल”;

(ii) क्रम सं. 16 में, स्तंभ(3) में “छुआरा” के स्थान पर “ छुआरा (मुलायम या हार्ड)” पढ़ा जाये ;

(iii) क्रम सं. 56 में, स्तंभ (3) में “क्रम संख्या 1(च)” के स्थान पर “क्रम संख्या 1(छ)”, पढ़ा जाये ;

(iv) क्रम सं. 74 में, स्तंभ (3) में “3302” के स्थान पर “3301” पढ़ा जाये ;

(v) क्रम सं. 231 में, स्तंभ (3) में “शीर्षक 9208” के स्थान पर “शीर्षक 9208 या 9705” पढ़ा जाये ;

(ग) अनुसूची III-18%,-

(i) क्रम सं. 55 में, स्तंभ (3) में “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही” के स्थान पर “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा” पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 133 में, स्तंभ (3) में “कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं ” के स्थान पर “ कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा” पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 233 में, स्तंभ (3) में “सिलाई की सुइयां” का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 247 में, स्तंभ (3) में “0.12.5 मिलीमीटर” के स्थान पर “0.15 मिलीमीटर” पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं. 323 में, स्तंभ (2) में “8522 90” के स्थान पर “8422 90” पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं. 395 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशीय फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशीय फाइबर केबल” पढ़ा जाये;

(vii) क्रम सं. 447 में, स्तंभ (3) में “और अन्य लेखनी” का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची IV-28%,-

(i) क्रम सं. 158 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स” पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 161 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर केबल्स” पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 215 में, स्तंभ (3) में “विडियो गेम कंसोलस और मशीन” के स्थान पर “विडियो गेम्स कंसोलस और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला विलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोटस, कसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)” पढ़ा जाये ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**New Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 956(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017,-

(A) In Schedule I-5%,-

- (i) in S. No.59, in column (3), for “1106 10 90”, read “0713”;
- (ii) in S. No.61, in column (2), for “1106 10 90”, read “0713”;
- (iii) in S.No.92,-
 - (a) in column (2), for “1702”, read “1702 or 1704”;
 - (b) in column (3), for “Palmyra sugar”, read “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura”;
- (iv) in S.No.185, in column (3), for “Agarbatti”, read “Agarbatti, lobhan”;
- (v) in S. No. 220, in column (3),-
 - (a) for “saima”, read “salma”;
 - (b) for “gotasitara”, read “gota, sitara”;
 - (c) for “glzal”, read “gizai”;
- (vi) in S. No. 234, in column (3), after entry (g), insert “(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels”;

(B) In Schedule II-12%,-

- (i) in S.No.14, in column (3), after “shelled or peeled”, insert “and desiccated coconuts”;
- (ii) in S.No.16, in column (3), for “Dates”, read “Dates (soft or hard)”;
- (iii) in S.No.56, in column (3), for “serial number 1(f)”, read “serial number 1(g)”;
- (iv) in S.No.74, in column (2), for “3302”, read “3301”;
- (v) in S.No.231, in column (3), for “heading 9208”, read “heading 9208 or 9705”;

(C) In Schedule III-18%,-

- (i) in S. No. 55, in column (3), for “(Fountain pen ink and Ball pen ink)”, read “(other than Fountain pen ink and Ball pen ink)”;
- (ii) in S. No. 133, in column (3), for “Artificial fur and articles thereof”, read “Artificial fur other than articles thereof”;
- (iii) in S. No. 233, in column (3), omit “Sewing needles”;
- (iv) in S. No. 247, in column (3), for “0.12.5 mm” , read “0.15 mm”;
- (v) in S.No.323, in column (2), for “8522 90”, read “8422 90”;
- (vi) in S. No. 395, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cable”;
- (vii) in S. No. 447, in column (3), omit “and other pens”;

(D) In Schedule-IV-28%,-

- (i) in S. No. 158, in column (3), for “optical fibres optical fibres, bundles or cables”, read “optical fibres, optical fibre bundles or cables”;
- (ii) in S. No. 161, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cables”;
- (iii) in S.No.215, in column (3), for “Video games consoles and Machines”, read “Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, i.e., casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]”.

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 957(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 667(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

अनुसूची में,-

- (i) क्रम सं. 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “9” के स्थान पर “7, 9 या 10” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “2302”, के स्थान पर “2301, 2302” पढ़ा जाये।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUMNew Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 957(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017,-

In the Schedule,-

- (i) in S.No.59, in column (2), for “9”, read “7, 9 or 10”;
- (ii) in S.No.102, in column(2), for “2302”, read “2301, 2302”.

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 958(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 673(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

क) अनुसूची में I-2.5%,-

- (i) क्रम सं. 59 में, 1 स्तंभ(3) में “1106 10 90” के स्थान पर “0713” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 61 में, स्तंभ (2) में “1106 10 90” के स्थान पर “0713” पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं. 92 में,-

क) स्तंभ (2) में “1702” के स्थान पर “1702 या 1704” पढ़ा जाये;

ख) स्तंभ (3) में “पामीरा चीनी” के स्थान पर “पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा” पढ़ा जाये;

- (iv) क्रम सं. 185 में, स्तंभ (3) में “अगरबत्ती” के स्थान पर “अगरबत्ती, लोभान ” पढ़ा जाये;

- (v) क्रम सं. 220 में, स्तंभ (3) में-

क) “साइमा” के स्थान पर “सलमा” पढ़ा जाये;

ख) “गोटासितारा” के स्थान पर “गोटा, सितारा” पढ़ा जाये;

ग) “गलजल” के स्थान पर “गजाई” पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं. 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें “(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनेल में बने हों अथवा नहीं”;

(ख) अनुसूची II-6%,-

(i) क्रम सं. 14 में, स्तंभ (3) में “शैल्ड या पील्ड”, के पश्चात, स्थापित करें “और शुष्क नारियल”;

(ii) क्रम सं. 16 में, स्तंभ(3) में “छुआरा” के स्थान पर “ छुआरा (मुलायम या हार्ड)” पढ़ा जाये ;

(iii) क्रम सं. 56 में, स्तंभ (3) में “क्रम संख्या 1(च)” के स्थान पर “क्रम संख्या 1(छ)”, पढ़ा जाये ;

(iv) क्रम सं. 74 में, स्तंभ (3) में “3302” के स्थान पर “3301” पढ़ा जाये ;

(v) क्रम सं. 231 में, स्तंभ (3) में “शीर्षक 9208” के स्थान पर “शीर्षक 9208 या 9705” पढ़ा जाये ;

(ग) अनुसूची III-9%,-

(i) क्रम सं. 55 में, स्तंभ (3) में “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही” के स्थान पर “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा” पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 133 में, स्तंभ (3) में “कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं ” के स्थान पर “ कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा” पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 233 में, स्तंभ (3) में “सिलाई की सुइयां” का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 247 में, स्तंभ (3) में “0.12.5 मिलीमीटर” के स्थान पर “0.15 मिलीमीटर” पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं. 323 में, स्तंभ (2) में “8522 90” के स्थान पर “8422 90” पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं. 395 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशीय फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशीय फाइबर केबल” पढ़ा जाये;

(vii) क्रम सं. 447 में, स्तंभ (3) में “और अन्य लेखनी” का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची IV-14%,-

(i) क्रम सं. 158 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स” पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 161 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर केबल्स” पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 215 में, स्तंभ (3) में “विडियो गेम कंसोलस और मशीन” के स्थान पर “विडियो गेम्स कंसोलस और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला विलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोट्स, कसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)” पढ़ा जाये ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUMNew Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 958(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017,-

(A) In Schedule I-2.5%,-

- (i) in S. No.59, in column (3), for “1106 10 90”, read “0713”;
- (ii) in S. No.61, in column (2), for “1106 10 90”, read “0713”;
- (iii) in S.No.92,-
 - (a) in column (2), for “1702”, read “1702 or 1704”;
 - (b) in column (3), for “Palmyra sugar”, read “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura”;
- (iv) in S.No.185, in column (3), for “Agarbatti”, read “Agarbatti, lobhan”;
- (v) in S. No. 220, in column (3),-
 - (a) for “saima”, read “salma”;
 - (b) for “gotasitara”, read “gota, sitara”;
 - (c) for “glzal”, read “gizai”;
- (vi) in S. No. 234, in column (3), after entry (g), insert “(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels”;

(B) In Schedule II-6%,-

- (i) in S.No.14, in column (3), after “shelled or peeled”, insert “and desiccated coconuts”;
- (ii) in S.No.16, in column (3), for “Dates”, read “Dates (soft or hard)”;
- (iii) in S.No.56, in column (3), for “serial number 1(f)”, read “serial number 1(g)”;
- (iv) in S.No.74, in column (2), for “3302”, read “3301”;
- (v) in S.No.231, in column (3), for “heading 9208”, read “heading 9208 or 9705”;

(C) In Schedule III-9%,-

- (i) in S. No. 55, in column (3), for “(Fountain pen ink and Ball pen ink)”, read “(other than Fountain pen ink and Ball pen ink)”;
- (ii) in S. No. 133, in column (3), for “Artificial fur and articles thereof”, read “Artificial fur other than articles thereof”;
- (iii) in S. No. 233, in column (3), omit “Sewing needles”;
- (iv) in S. No. 247, in column (3), for “0.12.5 mm”, read “0.15 mm”;
- (v) in S.No.323, in column (2), for “8522 90”, read “8422 90”;
- (vi) in S. No. 395, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cable”;
- (vii) in S. No. 447, in column (3), omit “and other pens”;

(D) In Schedule-IV-14%,-

- (i) in S. No. 158, in column (3), for “optical fibres optical fibres, bundles or cables”, read “optical fibres, optical fibre bundles or cables”;
- (ii) in S. No. 161, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cables”;
- (iii) in S.No.215, in column (3), for “Video games consoles and Machines”, read “Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, i.e., casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]”.

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 959(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 674(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

अनुसूची में, -

- (i) क्रम सं. 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवसर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 959(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017,-

In the Schedule,-

- (i) in S.No.59, in column (2), for "9", read "7, 9 or 10";
- (ii) in S.No.102, in column (2), for "2302", read "2301, 2302".

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 960(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 710(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

क) अनुसूची में I -2.5%,-

- (i) क्रम सं. 59 में, 1 स्तंभ(3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं. 92 में,-

क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;

ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा" पढ़ा जाये;

- (iv) क्रम सं. 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान " पढ़ा जाये;

- (v) क्रम सं. 220 में, स्तंभ (3) में-

क) "साइमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये;

ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये;

ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;

- (vi) क्रम सं. 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें "(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नहीं";

(ख) अनुसूची II -6%,-

- (i) क्रम सं. 14 में, स्तंभ (3) में "शैल्ड या पील्ड", के पश्चात, स्थापित करें "और शुष्क नारियल";
- (ii) क्रम सं. 16 में, स्तंभ(3) में "छुआरा" के स्थान पर "छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं. 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्या 1(च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1(छ)", पढ़ा जाये;

(iv) क्रम सं. 74 में, स्तंभ (3) में “3302” के स्थान पर “3301” पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं. 231 में, स्तंभ (3) में “शीर्षक 9208” के स्थान पर “शीर्षक 9208 या 9705” पढ़ा जाये;

(ग) अनुसूची III-9%,-

(i) क्रम सं. 55 में, स्तंभ (3) में “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही” के स्थान पर “फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा” पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 133 में, स्तंभ (3) में “कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं” के स्थान पर “कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा” पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 233 में, स्तंभ (3) में “सिलाई की सुइयां” का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 247 में, स्तंभ (3) में “0.12.5 मिलीमीटर” के स्थान पर “0.15 मिलीमीटर” पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं. 323 में, स्तंभ (2) में “8522 90” के स्थान पर “8422 90” पढ़ा जाये;

(vi) क्रम सं. 395 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशीय फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशीय फाइबर केबल” पढ़ा जाये;

(vii) क्रम सं. 447 में, स्तंभ (3) में “और अन्य लेखनी” का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची IV-14%,-

(i) क्रम सं. 158 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स” पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं. 161 में, स्तंभ (3) में “प्रकाशिक फाइबर” के स्थान पर “प्रकाशिक फाइबर केबल्स” पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं. 215 में, स्तंभ (3) में “विडियो गेम कंसोलस और मशीन” के स्थान पर “विडियो गेम्स कंसोलस और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला बिलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोट्स, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)” पढ़ा जाये।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 960(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017,-

(A) In Schedule I-2.5%,-

(i) in S. No.59, in column (3), for “1106 10 90”, read “0713”;

(ii) in S. No.61, in column (2), for “1106 10 90”, read “0713”;

(iii) in S.No.92,-

(a) in column (2), for “1702”, read “1702 or 1704”;

(b) in column (3), for “Palmyra sugar”, read “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura”;

(iv) in S.No.185, in column (3), for “Agarbatti”, read “Agarbatti, lobhan”;

(v) in S. No. 220, in column (3),-

(a) for “saima”, read “salma”;

(b) for “gotasitara”, read “gota, sitara”;

(c) for “glzal”, read “gizai”;

(vi) in S. No. 234, in column (3), after entry (g), insert “(h) Photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels”;

(B) In Schedule II-6%,-

(i) in S.No.14, in column (3), after “shelled or peeled”, insert “and desiccated coconuts”;

(ii) in S.No.16, in column (3), for “Dates”, read “Dates (soft or hard)”;

- (iii) in S.No.56, in column (3), for “serial number 1(f)”, read “serial number 1(g)”;
- (iv) in S.No.74, in column (2), for “3302”, read “3301”;
- (v) in S.No.231, in column (3), for “heading 9208”, read “heading 9208 or 9705”;

(C) In Schedule III-9%,-

- (i) in S. No. 55, in column (3), for “(Fountain pen ink and Ball pen ink)”, read “(other than Fountain pen ink and Ball pen ink)”;
- (ii) in S. No. 133, in column (3), for “Artificial fur and articles thereof”, read “Artificial fur other than articles thereof”;
- (iii) in S. No. 233, in column (3), omit “Sewing needles”;
- (iv) in S. No. 247, in column (3), for “0.12.5 mm”, read “0.15 mm”;
- (v) in S.No.323, in column (2), for “8522 90”, read “8422 90”;
- (vi) in S. No. 395, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cable”;
- (vii) in S. No. 447, in column (3), omit “and other pens”;

(D) In Schedule-IV-14%,-

- (i) in S. No. 158, in column (3), for “optical fibres optical fibres, bundles or cables”, read “optical fibres, optical fibre bundles or cables”;
- (ii) in S. No. 161, in column (3), for “Optical Fiber”, read “Optical Fibre Cables”;
- (iii) in S.No.215, in column (3), for “Video games consoles and Machines”, read “Video games consoles and Machines, article and accessories for billiards [9504 20 00], other games operated by coins, banknotes, i.e., casino games [9504 20 00] and others [other than board games of 9504 90 90]”.

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 961(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 711(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

अनुसूची में,-

- (i) क्रम सं. 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “9” के स्थान पर “7, 9 या 10” पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं. 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि “2302”, के स्थान पर “2301, 2302” पढ़ा जाये।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th July, 2017

G.S.R. 961(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017,-
In the Schedule,-

- (i) in S.No.59, in column (2), for “9”, read “7, 9 or 10”;
- (ii) in S.No.102, in column(2), for “2302”, read “2301, 2302”.

[F.No.354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.